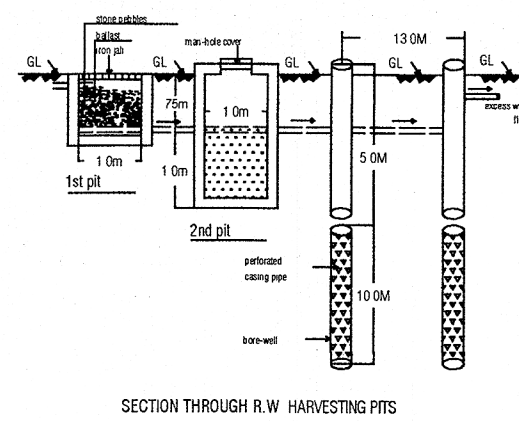


S.NO.	REFERENCE :-				
1.	PLOT AREA = 800.87 SQ.MT.				
2.	STANDARD B.A.R. = 800.87 X 2.00 = 1601.74 SQ.MT.				
3.	PROPOSED B.A.R. = 2797.15 SQ.MT. (3.49) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (2797.15)- (1601.74) = 1195.41 SQ.MT.				
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACK				
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACK				
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10 %) = 80.08 SQ.MT.				
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10.01 %) = 80.17 SQ.MT.				
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = = PLINTH (1.20) + STILT (4.50) + (18.0) = 23.70 M				
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.75)+STILT (3.00) + 18.00 = 21.75 M				
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = 2797.15 / 115 = 24.32 + 10% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 26.75 CAR = 21 , SCOOTER = 18				
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 23, SCOOTER = 12 (27.00 E.C.U.) NUMBER OF FLATS/ UNITS = 18 CAR PARKING THROUGH DRIVEWAY = 19 CAR PARKING BACK TO BACK = 04		CAR.	SCOOTERS	
		OPEN TO SKY	20	4	
		STILT FLOOR	3	8	
		TOTAL	23	12	
12.	NUMBER OF EV POINTS REQUIRED = 03 NUMBER OF EV POINTS PROPOSED = 03				
14.	FACILITIES AREA REQUIRED ON STILT FLOOR:- REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. (55.94 SQ.MT.) OR 50.0 SQ.MT. (WHICH EVER IS LESS)				
1.	PROPOSED FACILITIES ON STILT = 50.68 SQ.MT.				

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)							
S.NO.	FLOOR	GROSS BUILT UP	SERVICE SHAFT	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES
1	BASEMENT FLOOR	291.31	-	-	4.00	287.31	-
2	STILT FLOOR	439.89	-	-	4.00	50.68	50.68
	GUARD ROOM, UG WATER TANK DG./TRANSFORMER.	37.70	-	-	-	-	-
3	1st FLOOR	439.89	0.85	25.18	4.00	409.86	-
	2nd FLOOR	439.89	0.85	25.18	4.00	409.86	-
5	3rd FLOOR	439.89	0.85	25.18	4.00	409.86	-
	4th FLOOR	439.89	0.85	25.18	4.00	409.86	-
7	5th FLOOR	439.89	0.85	25.18	4.00	409.86	-
8	6th FLOOR	439.89	0.85	25.18	4.00	409.86	-
9	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT/	159.54	-	-	-	-	-
	TOTAL	3567.78	-	-	-	2797.15	50.68



500 वर्गमीटर से बड़ा व्यस्तताक्षिक/सहभागिता मूल्यांकन में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत जायेगी की प्रति आम जनता के प्रदर्शनीय Prominently Display की जायेगी। ऊपर प्रकाश के प्रकरणों के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रकाश होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

500 वर्गमीटर से एक वर्गमीटर/सकल घनत्व के तहत में
मौके पर भवन निर्माण: एक स्थायी मानचित्र की
प्रति आम जनता के सम्पर्क: Permanently Display
की जायेगी। जो कि के प्रकाश से स्थायी भवन
मानचित्र नगर के एक स्थायी दैनिक समझ
पत्रों में स्थायी मानचित्र होने की तिथि से एक
सप्ताह में प्रकाशित किया जाना जायेगा होगा।

इन मानचित्रों का अनुमान किसी भी प्रसंगत भूमि/भूखण्ड के प्रति समझने का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही किसी भी प्रकार के स्वामित्व संबंधित अधिकारों की स्थापना करने के लिए स्वीकार्य मानचित्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्माण की संरचना मानचित्रों के अनुसार निर्माण संरचनात्मक मानचित्रों के अनुसार निर्माण का होगा।

[illegible]

समस्त हिन्दू निवास/प्रदेश/सुसभ्यता/भारतीय इमारतों एवं व्यवस्थापन/प्रशासन/संस्कृति में योगदान करने से उत्तम एवं सर्वोच्च की श्रेणी में सम्मान प्राप्त करने का अवसर की स्मृति की पूर्ण सूचना के लिए जहाँ जहाँ सम्मानित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है।

